राजदीप सरदेसाई

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 857/2012)

14 मई, 2015

[वी. गोपाल गौड़ा और सी. नागप्पन, न्यायाधिपतिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 199(4)(बी) - मानहानि के लिए अभियोजन - पिछली मंजूरी - दूसरा प्रतिवादी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपने संबंधित प्रकाशनों में अपीलकर्ताओं द्वारा प्रकाशित सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले के संबंध में कथित तौर पर उनके खिलाफ गलत निहितार्थ वाली खबर से व्यथित थे और /या उनके चैनल पर प्रसारित किया गया - दूसरे प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए धारा 199(4)(बी) के तहत पिछली मंजूरी मांगी, जिसे मंजूर कर लिया गया और राज्य लोक अभियोजक के माध्यम से अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गईं - मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया और समन आदेश पारित किए- अपीलकर्ताओं द्वारा धारा 482 याचिका इस आधार पर कि उन्हें उक्त मंजूरी आदेश में व्यक्तिगत रूप से नामित नहीं किया गया था - उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया - माना: राज्य सरकार के लिए प्रत्येक अपीलकर्ता के खिलाफ अलग से मंजूरी आदेश जारी करना आवश्यक नहीं था जब वे सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में उक्त समाचार को प्रसारित करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार थे और तब भी जब उक्त मंजूरी आदेश में उक्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नाम पहले से ही उल्लेखित थे – यह पर्याप्त है अगर उस घटना में शामिल सभी संबंधित व्यक्तियो पर मुकदमा चलाने के लिए एक ही मंजूरी दे दी जाए।

धारा 199 – अंतर्गत शक्ति का प्रयोग : प्रशासनिक और मंत्रिस्तरीय क्षमता में है और ऐसी मंजूरी राज्य सरकार की ओर से व्यक्तिपरक संतुष्टि के अनुसार है - चर्चा की गई।

धारा 199 – अपीलकर्ताओं के लिए तर्क कि सोहराबुद्दीन को बीदर से अहमदाबाद ले जाने में गुजरात पुलिस अधिकारियों की कथित सहायता करने वाले दूसरे प्रतिवादी के कृत्य

का उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए, उक्त बयान समाचार में है कथित तौर पर दूसरे प्रतिवादी को बदनाम करने वाली बात धारा 199 को आकर्षित नहीं करती है – अभिनिर्धारित: इस तरह का विवाद कानून में पूरी तरह से अक्षम्य है, इस कारण से कि उस समय गुजरात पुलिस की सहायता करते हुए दूसरे प्रतिवादी पर सवाल का निर्धारण करना क्षमता में था या नहीं। उनके सार्वजनिक कार्यों के आधिकारिक निर्वहन या अन्यथा, रिकॉर्ड पर तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की जांच के बाद नियमित परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाना है - अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित किया : 1. पिछली मंजूरी चैनल और अखबार के खिलाफ आवश्यक अभियोजन शुरू करने के लिए दी गई थी। अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के साथ सीआरपीसी की धारा 199 में प्रावधान है कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए पूर्व मंजूरी दी जानी चाहिए, हालांकि, उक्त प्रावधान यह नहीं बताते हैं कि यह आवश्यक है प्रत्येक आरोपी के नाम का उल्लेख करना जिन पर एक ही कथित लेनदेन में अपराध करने का आरोप है। इसलिए, मौजूदा मामले में, जब पिछली मंजूरी राज्य सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ दी गई थी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में समाचारों के प्रसारण/प्रकाशन के लिए जिम्मेदार थे, जिससे दूसरे प्रतिवादी के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था, तो ऐसा नहीं था। राज्य सरकार के लिए अपीलकर्ताओं में से प्रत्येक के खिलाफ अलग से मंजूरी आदेश जारी करना आवश्यक है, जब वे सभी उक्त समाचार को इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार हैं और और तब भी जब उक्त मंजूरी आदेश में उक्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नाम पहले से ही उल्लिखित हैं। इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से इस तर्क में कोई दम नहीं है कि उनके नाम का उल्लेख उक्त मंजूरी आदेश में विशेष रूप से नहीं किया गया है। [पैरा 26] [28-जी-एच; 29-ए-ई]

2. सीआरपीसी की धारा 199 के तहत राज्य सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग प्रशासनिक और मंत्रिस्तरीय क्षमता में है और ऐसी मंजूरी राज्य सरकार की ओर से व्यक्तिपरक संतुष्टि के अनुसार है। [पैरा 27] [29-जी]

गौर चंद्रा राउत एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक, कटक एआईआर 1963 एससी 1198: 1963 पूरक एससीआर 447; पी.सी. जोशी एवं अन्य उत्तर प्रदेश राज्य

एआईआर 1961 एससी 387: 1961 एससीआर 63; मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य 1997 (3) पूरक एससीआर 705: (1997) 7 एससीसी 622- अनुपयुक्त ठहराया गया।

3. राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपीलकर्ताओं द्वारा प्रसारित/प्रकाशित किए गए बयानों के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा उर्दू डेली में दिए गए बयान, जिसके आधार पर समाचार प्रकाशित किया गया है, की सराहना करने के बाद मंजूरी दी गई थी। इसके संपादक, जो सभी दूसरे प्रतिवादी को बदनाम करने वाले बयान थे, जबकि वह एक लोक सेवक के रूप में अपने सार्वजनिक कार्य का निर्वहन कर रहे थे। इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क कि उक्त मंजूरी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से कोई दिमाग नहीं लगाया गया, कानून में पूरी तरह से अस्थिर है। [पैरा 28] [30-एच; 31-ए-सी]

4. अपीलकर्ताओं द्वारा यह दलील दी गई कि दूसरे प्रतिवादी का कृत्य कथित तौर पर सोहराबुद्दीन को बीदर से अहमदाबाद ले जाने में गुजरात पुलिस अधिकारियों की सहायता करना था। उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित किए जा रहे दूसरे प्रतिवादी को कथित रूप से बदनाम करने वाले समाचार आइटम में उक्त बयान आकर्षित नहीं करता है सीआरपीसी की धारा 199 यह तर्क कानून की दृष्टि से भी पूरी तरह से अक्षम्य है, क्योंकि उस समय गुजरात पुलिस की सहायता करते समय दूसरा प्रतिवादी अपने सार्वजनिक कार्यों के आधिकारिक निर्वहन की क्षमता में था या नहीं, इस पर सवाल का निर्धारण करना है। रिकार्ड पर तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्यों की जांच के बाद नियमित परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। [पैरा 29] [31- सी-जी]

5. सीआरपीसी की धारा 199(4) को ध्यान से पढ़कर, यह इंगित नहीं करता है कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए, लोक सेवक को उन सभी व्यक्तियों के संबंध में राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है जिनके खिलाफ अपराध का एक ही लेनदेन का आरोप लगाया गया है और राज्य सरकार द्वारा दिए गए मंजूरी आदेश में आरोपियों के नाम का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यह पर्याप्त है अगर उस घटना में शामिल सभी संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक मंजूरी दे दी जाए। [पैरा 32] [33-ए-सी]

रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2010 (1) एससीआर 991: 2010(2) एससीसी 200 – अंतर किया गया ।

मास्टर गिरधारी लाल, नया भारत बनाम द स्टेट के मुद्रक एवं प्रकाशक 1969 सीआरएलजे पी एंड एच 1318; पछल्लूर नूहू बनाम लोक अभियोजक 1975 सीआरएलजे केरल 1304; संत लाल बनाम कृष्ण लाल 1976 सीआरएलजे दिल्ली 215; बी. बसवलिंगप्पा और अन्य वी. वी. नरसिम्हन 1974 सीआरएलजे कर्नाटक 66 - अनुमोदित।

उर्मिला देवी बनाम युद्धवीर सिंह (2013) 15 एससीसी 624: 2013 स्केल 513; मदन लाल बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1967 एससी 1590: 1967 एससीआर 439; जागीर सिंह बनाम रणबीर सिंह और अन्य एआईआर 1979 एससी 381: 1979 (2) एससीआर 282; करतार सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1956 एससी 541: 1956 एससीआर 476; आर. राजगोपाल एवं अन्य बनाम टी.एन. राज्य एवं अन्य (1994) 6 एससीसी 632: 1994 (4) पूरक एससीआर 353 – संदर्भित किया गया।

<u>प्रकरण कानून संदर्भ</u>

1963 पूरक एससीआर 447	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 12
1961 एससीआर 63	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 12
1997 (3) पूरक एससीआर 705	अनुपयुक्त ठहराया गया	पैरा 12
2013 स्केल 513	संदर्भित किया गया	पैरा 12
1967 एससीआर 439	संदर्भित किया गया	पैरा 13
1979 (2) एससीआर 282	संदर्भित किया गया	पैरा 15
2010 (1) एससीआर 991	अंतर बताया गया	पैरा 18
1956 एससीआर 476	संदर्भित किया गया	पैरा 22
1994 (4) पूरक एससीआर 353	संदर्भित किया गया	पैरा 22
1969 क्रिएलजे पी एंड एच 1318	अनुमोदित किया गया	पैरा 25

1975 सीआरएलजे केरल 1304 अनुमोदित किया गया पैरा 25

1976 सीआरएलजे दिल्ली 215 अनुमोदित किया गया पैरा 25

1974 सीआरएलजे कर्नाटक 66 अनुमोदित किया गया पैरा 25

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 857/2012

आपराधिक याचिका संख्या 1638 /2008 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.04.2011 से।

मय

आपराधिक अपील संख्या 853, 854, 855, 856, 858, 851, 850 और 852/2012

गुरु कृष्ण कुमार, सैत महमूद, अभिनव मुखर्जी, सुमोटो डे, तान्या श्री, विवेक अग्रवाल, अरुणेश्वर गुप्ता, मनीष राघव, निखिल सिंह, बिजन कुमार घोष, अभिमनु श्रेष्ठ, शिल्पी डे (कामिनी जयसवाल के लिए); अपीलकर्ता के लिए।

पी. विश्वनाथ शेट्टी, पी. वेंकट रेड्डी (वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स के लिए), डी. महेश बाबू, टी.एन. राव, पप्पू नागेश्वर राव, बीना माधवन (वकील एस निट एंड कंपनी के लिए); प्रतिवादियों की ओर से

न्यायालय का निर्णय वी. गोपाल गौड़ा, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। 1. अपीलों का वर्तमान समूह आपराधिक याचिका संख्या 1638 /2008 और समूह मामलों में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय हैदराबाद द्वारा पारित अंतिम सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 29.4.2011 के खिलाफ निर्देशित है। जिससे, उच्च न्यायालय ने आपराधिक याचिका संख्या 7592 /2007 को छोड़कर सभी आपराधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो दूसरे प्रतिवादी की ओर से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर विभिन्न शिकायतों में समन के आदेश के खिलाफ दायर की गई थीं। निम्नलिखित तालिका यह स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त होगी कि किस आपराधिक याचिका/शिकायत मामले के विरुद्ध कौन सी अपील दायर की गई है:-

क्रि. अपील सं. इस न्यायालय के समक्ष	शिकायत संख्या से उत्पन्न आपराधिक याचिका	अपीलकर्ता के खिलाफ मानहानि के लिये दायर परिवाद अंतर्गत धारा/ये	स्वीकृति संख्या के जरिये शिकायत दायर करने की स्वीकृति दी गई।

857/2012 (राजदीप सरदेसल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य) 850/2012 (सिद्धार्थ गौतम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य) 852/2012 (स्वाति वशिष्ठ एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य) 853/2012 (वी.के. शशिकुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य) 855/2012 (अहमद ऑल शेक एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य) 856/2012 (हेमेंदर शर्मा एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य)	आपराधिक याचिका नं. 1590,1646 और 1638/2008 सीसी नं. 1/2008 के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया। अंग्रेजी समाचार चैनल सीएनएन-आईबीएन में एक समाचार कार्यक्रम का प्रसारण 13.5.2007 को 1730 बजे, 20 मिनट - सोहराबुदीन की इनसाइड स्टोरी शीर्षक के अंतर्गत	199(2)सीआरपीसी अपर महानगर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ नामपल्ली न्यायालय के समक्ष धारा 499,500 और 120-बी के अंतर्गत 499,आरोप लगाते हुये।	जीओ.आरएल. क्रमांक 6581 दिनांक 27.10.2007
आपराधिक अपील नंबर 854/2012 (गुलाब कोठारी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और	सीसी नंबर 3/2008 के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 264/2008	199(2) सपठित धारा 200 सीआरपीसी अपर महानगर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय नामपल्ली	जीओ.आरटी. क्रमांक 6582 दिनांक 27.10.2007

अन्य) और 858/2012 (हेमेंदर शर्मा और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।	- रजि. राजस्थान पत्रिका, शनिवार संस्करण में समाचार का प्रकाशन। दिनांक 12.5.2007 को शीर्षक "वरजारा पर कष्ट फंदा" के अंतर्गत	न्यायालय के समक्ष धारा 499,500,501,502 और 120-बी के अंतर्गत 499,आरोप लगाते हुये।	
आपराधिक अपील संख्या 851/2012 (लतीफ मोहम्मद खान बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और गिरफ्तार)	सीसी नं. 24/2007 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में आपराधिक याचिका संख्या 1252/2008 दायर की गई। -सियासथ उर्दू डेली में समाचारों का प्रकाशन, दिनांक 8.5.2007	199(2) सपठित धारा 200 सीआरपीसी अपर महानगर सत्र न्यायाधीश, प्रथम हैदराबाद के समक्ष धारा 499,500,501,502 और 120-बी के अंतर्गत 499,आरोप लगाते हुये।	जीओ.आरटी. क्रमांक 6580 दिनांक 27.10.2007

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यहां दिए गए हैं:

वर्ष 2007 में विभिन्न तारीखों पर न्यूज़ आइटम में कथित तौर पर दूसरे प्रतिवादी-राजीव त्रिवेदी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध और एसआईटी) के खिलाफ गलत आरोप लगाए गए। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा संबंधित प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया था और सीएनएन-आईबीएन पर प्रसारित किया गया था। दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') की धारा 199 (4) (बी) के तहत पूर्व मंजूरी की मांग करते हुए दूसरे प्रतिवादी द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को उपरोक्त में संदर्भित प्रावधानों के तहत एक अभ्यावेदन दिया गया था। तदनुसार, पिछली मंजूरी राज्य सरकार

ने जीओ आरटी. संख्या 6581,6582,6583 और 6580 दिनांक 27.10.07 द्वारा दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में प्रदान की उसे उपरोक्त के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ उचित अदालत के समक्ष राज्य लोक अभियोजक के माध्यम से अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी:

ए) सियासत उर्दू डेली: श्री लतीफ मोहम्मद खान

बी) सीएनएन-आईबीएन अंग्रेजी समाचार चैनल

सी) राजस्थान पत्रिका (जयपुर) हिन्दी दैनिक

डी) डेक्कन क्रॉनिकल इंग्लिश डेली

ई) एतेमाद उर्दू डेली

(बिंदु (ए)-(ई) को इसके बाद 'व्यक्तिगत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' के रूप में जाना जाएगा)

3. उपर्युक्त समाचारों में से एक, जिसे सीएनएन-आईबीएन अंग्रेजी समाचार चैनल पर "30 मिनट्स-सोहराबुद्दीन द इनसाइड स्टोरी" शीर्षक के तहत 13.5.2007 को 1730 बजे प्रसारित किया गया था, जो सीसी नंबर 1 /2008 का विषय है। हमारी जांच के लिए यहां निकाला गया है:-

> "पुलिस सूत्रों का कहना है कि वंजारा और पांडियन ने हैदराबाद विशेष जांच इकाई के एसपी राजीव त्रिवेदी की मदद से बीदर में कौसरबाई को पकड़ा...राजीव त्रिवेदी ने फर्जी नंबर प्लेट वाली कारें उपलब्ध कराईं, जिसमें सोहराबुद्दीन को अहमदाबाद लाया गया और फिर एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया।"

4. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई उपरोक्त मंजूरी के अनुसार, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से राज्य लोक अभियोजक द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी। राज्य लोक अभियोजक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आंध्र प्रदेश राज्य ने आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त अपराधों के लिए शिकायतें दर्ज कीं। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश, जिनके समक्ष राज्य लोक अभियोजक द्वारा शिकायतें स्थापित की गई थीं, ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराधो का संज्ञान लिया है और उन्हें संबंधित

मामलों में आगे की कार्यवाही के लिए अदालत के सामने पेश होने के लिए बुलाने के आदेश पारित किए।

5. सी.सी. नंबर 27/07, सी.सी. नंबर 3/2007, और सी.सी. नंबर 24/2007 में अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित समन आदेशों से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने आपराधिक याचिकायें संख्या 7592/007, 264/20008 और 1252/2008 अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी में विभिन्न कानूनी दलीलों का आग्रह करते हुए इसे रद्द करने की मांग करते हुये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की।

6. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद, सीआरपीसी की धारा 199(4)(बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में दिए गए पिछले मंजूरी आदेश को लागू करते हुए राज्य को अनुमति दे दी। लोक अभियोजक ने ऊपर संदर्भित अपीलकर्ताओं के खिलाफ कथित अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए और नियमों के साथ पढ़े गए उक्त मंजूरी आदेशों की वैधता और वैधता के संबंध में विवादों से निपटने के बाद और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, केवल आपराधिक की अनुमति दी। याचिका संख्या 7592/2007 (एम.जे. अकबर एवं अन्य बनाम ए.पी. राज्य) और सभी अन्य आपराधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सीएनएन-आईबीएन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित समाचार और अपीलकर्ताओं के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अन्य समाचार आइटम ये दूसरे प्रतिवादी के कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और यह माना जाता है कि क्या ये मानहानिकारक, अपमानजनक या निंदनीय बयानों के बराबर हैं, यह एक ऐसा मामला है जिसे पार्टियों द्वारा पेश किए जाने वाले सबूतों पर तय किया जाना है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 7 के अनुरूप प्रसारक को किसी भी विशेषाधिकार के अभाव में, अपीलकर्ता उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का दावा नहीं कर सकते हैं और अपीलकर्ताओं के खिलाफ उक्त आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। उच्च न्यायालय के सामान्य आदेश द्वारा व्यथित होकर, ये अपीलें अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के विचारार्थ कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हुए दायर की जाती हैं।

7. आपराधिक अपील संख्या 850, 852, 853, 855, 856, 857 /2012 में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार ने तर्क दिया है

कि राज्य लोक अभियोजक धारा 199 (2) सी.आर.पी.सी. के तहत किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके संबंध में सीआरपीसी की धारा 199(4) के तहत आवश्यक राज्य सरकार द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई है, शिकायत नहीं कर सकते हैं।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से उनके द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि उन्हें धारा 199(4) सी.आर.पी.सी. के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए पिछले मंजूरी आदेश के आधार पर दूसरे प्रतिवादी की ओर से मामले में शामिल व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर मुकदमा चलाने के लिए, न कि उक्त मंजूरी आदेश में किसी नामित व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य लोक अभियोजक द्वारा स्थापित शिकायत पर बुलाया गया है। और इसलिए, पिछली मंजूरी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से कोई दिमाग नहीं लगाया गया है। यहां अपीलकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में आदेश दिया गया है।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की आपराधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया है और दायर शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित समन के आदेशों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ सरकारी वकील द्वारा, जो कानून में बनाए रखने योग्य नहीं हैं। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय ने इस प्रासंगिक तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि अपीलकर्ता द्वारा कहानी का प्रसारण दूसरे प्रतिवादी के लोक सेवक होने के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू से नहीं निपटा गया, इसने निष्कर्षों को कानून की दृष्टि से गलत बना दिया है और इसलिए, इन्हें रद्द किया जा सकता है।

10. इसके अलावा, उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय धारा 199(4) सी.आर.पी.सी. और 1968 के अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम के तहत आवश्यक पिछली मंजूरी के लिए दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की जांच करते समय मामले के एक महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् राज्य सरकार पर विचार करने में विफल रहा है, उनके पक्ष में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य लोक अभियोजक को अधिकृत करना राज्य सरकार की ओर से दिमाग के प्रयोग को प्रतिबिंबित नहीं करता है क्योंकि वे यह पता लगाने में विफल रहे हैं कि क्या व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया द्वारा दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ की गई टिप्पणियों में ऐसी सामग्री मिली है जो मानहानिकारक,

निंदनीय या अपमानजनक है और क्या यह राज्य सरकार को भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय XXI के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ ऐसी आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देने का अधिकार देता है, इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त बताए गए कारण राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तथ्यों पर दिमाग लगाने की कमी को दर्शाते हैं और इसलिए, इसके द्वारा शुरू किए गए दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकृत मंजूरी आदेश दिया गया है सीआरपीसी उपरोक्त के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही उल्लेख कानून की दृष्टि से दूषित है और रद्द किये जाने योग्य है।

11. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय एक अन्य प्रासंगिक तथ्य पर भी विचार करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 1-राज्य सरकार द्वारा स्थापित आपराधिक शिकायतें, अपराध करने में उनकी भूमिका के बारे में चुप हैं। दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ टिप्पणियों और आरोपों को प्रसारित/प्रकाशित करने का कथित अपराध जो कथित रूप से मानहानिकारक, अपमानजनक और निंदनीय हैं।

12. अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय इस बात को समझने में असफल रहा है कि अपीलकर्ताओं को आरोपी के रूप में दोषी ठहराने के लिए, शिकायतकर्ता को शिकायतों में उनके खिलाफ सकारात्मक बयान देना चाहिए था और प्रत्येक को एक विशिष्ट भूमिका निभानी चाहिए थी। उन्हें कथित अपराध करने में, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए, मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी समन आदेश और राज्य लोक अभियोजक द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ दायर की गई शिकायतें कानून में टिकाऊ नहीं हैं और रद्द किये जाने योग्य है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है - गौर चंद्र राउत और अन्य बनाम लोक अभियोजक, कटक, पी.सी. जोशी एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य और उर्मिला देवी बनाम युद्धवीर सिंह'।

13. इसके अलावा, विद्वान वरिष्ठ वकील ने सीआरपीसी की धारा 196(2) पर भरोसा जताया। दलील दी गई कि आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए एक विशिष्ट मंजूरी आदेश की आवश्यकता होती है, जो दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। इस तर्क के

समर्थन में उन्होंने मदन लाल बनाम पंजाब राज्य' के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। .

14. आपराधिक अपील संख्या 854 और 858 /2012 में अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील श्री अरुणेश्वर गुप्ता ने अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार द्वारा की गई उपरोक्त कानूनी दलीलों को दोहराया। आपराधिक अपील संख्या 854 /2012 में उनके द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि यह स्पष्ट है नोटिस दिनांक 13.8.2007 कि राजस्थान पत्रिका अखबार के संपादक, समाचार रिपोर्टर और मुद्रक एवं प्रकाशक के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी गई थी, हालांकि, आपराधिक अपील संख्या 854 /2012 में जो उक्त समाचार पत्र के प्रधान संपादक, सलाहकार और मुद्रक एवं प्रकाशक हैं अपीलकर्ता संख्या 1, 2 और 3 के खिलाफ कोई मंजूरी नहीं मांगी गई थी। रिकॉर्ड पर सभी दस्तावेजों और सामग्री के अवलोकन के बाद, राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 27.10.2007 द्वारा, उचित दिमाग लगाने के बाद, केवल राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के संपादक (आपराधिक अपील संख्या 858/2012 में अपीलकर्ता) के खिलाफ मंजूरी दे दी। अपीलकर्ता क्रमांक 1-3, जो प्रधान संपादक, सलाहकार और मुद्रक एवं प्रकाशक हैं, के विरुद्ध मंजूरी देने का आवेदन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था, इसलिए, उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही कानून में वैध नहीं है।

15. उनके द्वारा आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि उत्तरदाताओं ने राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.10.2007 को दी गई मंजूरी को चुनौती नहीं दी है, जिसमें संपादक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को अधिकृत किया गया है और सीआरएल संख्या 854/2012 में अपीलकर्ता संख्या 1-3 के खिलाफ मंजूरी आदेश को खारिज कर दिया गया है, वह अंतिम हो गया है, इसलिए, लोक अभियोजक के पास आपराधिक अपील संख्या 854 /2012 में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है जो प्रधान संपादक, सलाहकार और प्रिंटर और राजस्थान पत्रिका के प्रकाशक है। उन्होंने तर्क दिया कि जो सीधे तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अदालती कार्यवाही की प्रक्रिया से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे जागीर सिंह बनाम रणबीर सिंह और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया, यह तर्क देते हुए कि किसी नामित व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के अभाव में, सरकारी वकील शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है और ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी आदेश की न्यायिक समीक्षा करने और उन व्यक्तियों के खिलाफ समन जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जिनका

नाम विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के आदेश में आरोपी के रूप में नहीं आता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, भले ही उसके समक्ष इस संबंध में कानूनी प्रस्तुति दी गई हो।

16. अपीलकर्ताओं की ओर से दोनों विद्वान वकीलों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने वाले दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में पिछली मंजूरी के लिए राज्य सरकार के समक्ष वैध और ठोस सामग्री होनी चाहिए। उनका तर्क है कि राज्य सरकार को तथ्यों, आरोपों और अभियुक्तों के नामों की जांच करनी चाहिए थी और फिर यह निष्कर्ष निकालने के लिए उचित रूप से अपना दिमाग लगाना चाहिए था कि एक लोक सेवक के रूप में अपने सार्वजनिक कार्य का निर्वहन करते समय दूसरे प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का इरादा था या नहीं। राज्य सरकार द्वारा उसके सामने रखे गए तथ्यों पर इस तरह के उचित दिमाग लगाने के बाद ही, दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है और उसके बाद ही सत्र न्यायालय अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में ऐसे अपराध का संज्ञान लेगा। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करते समय मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश कानून की दृष्टि से दूषित और अपास्त किये जाने योग्य है।

17. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया है कि सीआरपीसी की धारा 199 की योजना के तहत, ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है जिन्होंने कथित तौर पर अपराध किया है और यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, जो उस समय संघ या राज्य के मामलों के संबंध में कार्यरत एक लोक सेवक था। इसलिए, आपराधिक अपील संख्या 858 / 2012 में अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि दूसरे प्रतिवादी की ओर से पहले प्रतिवादी द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ ही सीमित होनी चाहिए जिनके नाम ऊपर उल्लिखित अपराध के लिये सरकारी मंजूरी आदेश में हैं।

18. आपराधिक अपील संख्या 854 और 858 /2012 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अरुणेश्वर गुप्ता ने आगे तर्क दिया कि सोहराबुद्दीन मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कई जांच की गईं और 12.5.2007 को, एक रिपोर्ट सुश्री जौहरी द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसका संदर्भ रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले में मिलता है। सोहराबुद्दीन के मामले में सीबीआई द्वारा जांच का तथ्य सार्वजनिक डोमेन में था और यदि ऐसा अपीलकर्ता द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित (आपराधिक अपील संख्या 854 और 858 /2012 में) है, इसे किसी भी मानहानि का आधार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें उपरोक्त मामले में निर्णय का उल्लेख किया गया है जो एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है।

19. उनका यह भी तर्क है कि राजस्थान पत्रिका यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई) का ग्राहक है, जो भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसियों में से एक है, जो भारत में कई समाचार पत्रों को समाचार प्रदान करती है। यूएनआई ने दिनांक 12.05.2007 को समाचार प्रकाशित और प्रसारित किया और आपराधिक अपील संख्या 858 /2012 में अपीलकर्ताओं ने राजस्थान पत्रिका के संपादक होने के नाते इसका हिंदी में अनुवाद किया और इसे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया जो कथित तौर पर दूसरे प्रतिवादी के लिए अपमानजनक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए कथित मानहानिकारक समाचार का स्रोत और पहला प्रसारक है, जिसमें वह समाचार पत्र भी शामिल है, जिसके लिए अपीलकर्ता संपादक है, जिसने कथित अपमानजनक समाचार पर सत्य और सही विश्वास करते हुए कार्रवाई की और उसे प्रकाशित किया। अतः किसी भी यूएनआई के अभियोजन के अभाव में अपीलकर्ता पर मानहानि के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यह आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत आता है।

20. यह भी तर्क दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग है कि समाचार वस्तुओं और लेखों के प्रकाशन के संबंध में आपराधिक मानहानि सभी मामलों में लागू नहीं की जा सकती है, बल्कि प्रतिष्ठा को हुए तत्काल नुकसान की भरपाई के लिए केवल असाधारण मामलों तक ही सीमित होनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को बदनाम किया गया है और उन्हें गुप्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपाय के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इसका प्रेस को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

21. उनके द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि आई.पी.सी. की धारा 499 मानहानि के अपराध को मौखिक या लिखित रूप में परिभाषित करती है, आईपीसी की धारा 501 मानहानिकारक मुद्रण या मानहानिकारक सामग्री को उकेरने के लिए है और आई.पी.सी. की धारा 502 मानहानिकारक सामग्री वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थों की बिक्री के लिए है। अतः आई.पी.सी. की धारा 499 संपादक को कवर किया जाएगा जबकि धारा 501 प्रकाशक और प्रिंटर को कवर करेगी और आईपीसी की धारा 502 विक्रेता को कवर किया जाएगा। जैसा कि आईपीसी की धारा 501 और 502 के तहत उल्लिखित अपराध हैं। विशेष रूप से अलग-अलग अपराध हैं जो प्रकाशक और विक्रेता के खिलाफ हैं, इसलिए, पिछला मंजूरी आदेश समाचार पत्रों के संपादक के खिलाफ दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया था और मुद्रक और प्रकाशक के खिलाफ खारिज कर दिया गया था। इसलिए, इन अपीलों में, अपीलकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 499, 501, 502 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 120-बी की सहायता से क्योंकि मानहानि का दायित्व केवल संपादक तक ही सीमित है।

22. आपराधिक अपील संख्या 851 /2012 में, अपीलकर्ता-श्री लतीफ़ मो. खान, महासचिव, सिविल लिबर्टीज मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अभिमन्यु श्रेष्ठ, जिन्होंने कथित तौर पर दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ समाचार सियासत उर्दू डेली में 8.5.2007 को प्रकाशित "राजीव त्रिवेदी-हैदराबाद का वंजारा" "फौरी भरखस्त कमे का मुतालिका" के अंतर्गत कुछ गलत और आधारहीन बयान दिए हैं, में तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता उक्त उर्दू डेली का न तो प्रकाशक है और न ही विक्रेता है, इसलिए कोई भी इस पर विश्वास करेगा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर ऐसा बयान दिया है। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, अपीलकर्ता जो सिविल लिबर्टीज मॉनिटरिंग कमेटी के सचिव हैं, ने जनता को इसके बारे में जागरूक करने के लिए सियासत उर्दू डेली में उपरोक्त बयान प्रकाशित किए। उनके खिलाफ कथित अपराध लागू नहीं होते क्योंकि शिकायत में लगाए गए आरोप आईपीसी की धारा 500, 501, 502 और 120-बी के तहत किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं। विद्वान वकील ने करतार सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य' और आर. राजगोपाल एवं अन्य बनाम टी.एन. राज्य और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए उक्त अपील में अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने के

लिए दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा दी गई पिछली मंजूरी की वैधता और वैधता पर सवाल उठाया।

23. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. विश्वनाथ शेट्टी ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए लोक अभियोजक को अधिकृत करने वाले मंजूरी आदेश को उचित ठहराने की मांग की है, जिसे आवेदन करने के बाद प्रदान किया गया था। यह दूसरे प्रतिवादी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में बताए गए तथ्यों पर ध्यान देता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित किए गए बयान मानहानि करने वाले थे और उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करते थे और ये उनके आईपीएस अधिकारी के तौर पर सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में थे। राज्य सरकार ने अपना दिमाग लगाने के बाद संतुष्ट किया कि अपीलकर्ताओं के अपमानजनक बयानों को छापने और प्रसारित करने से दूसरे प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसलिए, इसने सीआरपीसी की धारा 199(4) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में अभिस्वीकृति आदेश दिया, यह प्रावधान उन नामों का उल्लेख करने की बात नहीं करता है जिनके खिलाफ राज्य लोक अभियोजक द्वारा आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाना है।

24. उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना दिमाग लगाने के बाद मामले का संज्ञान लिया और अपीलकर्ताओं को अपने संबंधित काउंटर के साथ सत्र अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया। उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के लिए। उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करके अपीलकर्ताओं द्वारा इसे रोक दिया गया था। उनका तर्क है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आपराधिक याचिकाओं में आग्रह किए गए प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्क से निपटने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। चूंकि अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर 1-राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में मुकदमे का सामना करना आवश्यक है।

25. दूसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पप्पू नागेश्वर राव ने सीआरपीसी की धारा 132, 188, 196, 197, 199 के प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान

आकर्षित करके दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में दी गई मंजूरी को उचित ठहराने की मांग की। उन्होंने धारा 194 के तहत प्रदान की गई पिछली मंजूरी को अलग करने की कोशिश की और मास्टर गिरधारी लाल, प्रिंटर और प्रकाशक, नया भारत बनाम राज्य, पचल्लूर नूहू बनाम लोक अभियोजक, संत लाल बनाम कृष्ण लाल और बी. बसवलिंगप्पा और अन्य. वी. वी. नरसिम्हन के मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा किया, कानून के प्रस्ताव के समर्थन में कि राज्य सरकार द्वारा पिछले मंजूरी आदेश को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 198 बी(3)(ए) के तहत सरकार के किसी भी सचिव द्वारा किसी लोक सेवक के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जा सकता है उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिन्होंने उसके खिलाफ मानहानि के अपराध किए हैं। उन्होंने आगे मंजूरी की सीमा के संबंध में सीआरपीसी की धारा 308 परंतुक 2 और धारा 473 और सीआरपीसी की धारा 484 पर भरोसा जताया। मंजूरी बचत खंड के संबंध में यह उचित ठहराने के लिए कि यहां अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पूरी तरह से कानूनी और वैध है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि उपरोक्त के मद्देनजर, दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी में अपीलकर्ताओं द्वारा गलती नहीं पाई जा सकती है और इन अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

26. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील की ओर से प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों को सुना है और निम्नलिखित कारण बताते हुए उनका उत्तर दिया है।

आपराधिक अपील संख्या 857 /2012 और संबंधित अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में कि उच्च न्यायालय ने दायर आपराधिक याचिकाओं में उसके समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया है। अपीलकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करना कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अस्वीकार्य है क्योंकि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित सरकारी आदेश के तहत दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में मंजूरी दी गई थी। रिकॉर्ड पर तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की जांच करने पर सीएनएन-आईबीएन चैनल, सियासत उर्दू डेली श्री लतीफ मोहम्मद खान, राजस्थान पत्रिका (जयपुर) हिंद दैनिक, डेक्कन क्रॉनिकल इंग्लिश डेली और एतेमाद उर्दू डेली के खिलाफ आवश्यक अभियोजन शुरू करने की पिछली मंजूरी दी गई है। सीआरपीसी की धारा 199 के तहत प्रावधान सपठित अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 को ध्यान से पढ़कर, इसमें प्रावधान है कि आरोपी के खिलाफ

आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए पिछली मंजूरी दी जानी चाहिए, हालांकि, उक्त प्रावधान यह नहीं बताते हैं कि आरोपियों में से एक, जिस पर उसी कथित लेनदेन में अपराध करने का आरोप है प्रत्येक के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है। इसलिए, मौजूदा मामले में, जब राज्य सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ पिछली मंजूरी दी गई थी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में समाचार के प्रसारण/प्रकाशन के लिए जिम्मेदार थे, जिससे दूसरे प्रतिवादी के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, तो राज्य सरकार के लिए अपीलकर्ताओं में से प्रत्येक के खिलाफ अलग से मंजूरी आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है, जब वे सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में उक्त समाचार को प्रसारित करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार हैं और जब उक्त इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नाम पहले ही उक्त स्वीकृति आदेश में दर्ज हो चुके हों इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए इस तर्क में कोई दम नहीं है कि उनके नाम का उल्लेख उक्त मंजूरी आदेश में विशेष रूप से नहीं किया गया है। उक्त विवाद कानून की दृष्टि से अक्षम्य है और इसलिए खारिज किए जाने योग्य है। तद्नुसार इसे अस्वीकार किया जाता है।

27. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता को सुप्रा में संदर्भित किया गया, जबकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में मंजूरी के अनुसार राज्य सरकार ने अपना दिमाग नहीं लगाया है सीआरपीसी की धारा 199 के तहत राज्य सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के कारण यह तर्क कानून की दृष्टि से भी पूरी तरह से अक्षम्य है। प्रशासनिक और मंत्रिस्तरीय क्षमता में है और इस तरह की मंजूरी राज्य सरकार की ओर से व्यक्तिपरक संतुष्टि के अनुसार है। अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने गौर चंद्र राउत और एक अन्य बनाम लोक अभियोजक, पी.सी. जोशी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य (सभी पूर्वोक्त संदर्भित)के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है। उपर्युक्त संदर्भित मामलों के संबंध में, पहले दो मामलों में सीआरपीसी की धारा 199 के तहत शक्ति के प्रयोग से संबंधित नहीं है, सिवाय धारा 198 बी (3) (क) सीआरपीसी, 1898 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा शक्ति के मंत्रिस्तरीय प्रयोग को बताने के अलावा। जहां तक तीसरे मामले का संबंध है, जिस पर अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील ने भरोसा किया था, वही पिछली मंजूरी के संबंध में है जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। इसलिए,

उपरोक्त मामलों में से कोई भी जिस पर अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, मौजूदा तथ्य स्थिति से कोई प्रासंगिकता नहीं है।

28. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की योजना को ध्यान में रखते हुए, संबंधित समय के दौरान शिकायतकर्ता-दूसरा प्रतिवादी राज्य सरकार की सेवाओं में पुलिस अधिकारी था और वह अदालत में अपीलकर्ताओं पर मुकदमा नहीं चला सकता है। सीआरपीसी के उपरोक्त प्रावधानों के तहत राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना। इसलिए, अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए, दूसरे प्रतिवादी ने उपरोक्त प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में एक याचिका के साथ राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन दिया, जिसके संबंध में उसने राज्य सरकार की मंजूरी मांगी है। इसकी सराहना करने पर, राज्य सरकार ने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले के तथ्यों की सराहना की, सही तरीके से अपना दिमाग लगाया और सीआरपीसी की धारा 199(4) के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए दूसरे प्रतिवादी के पक्ष में मंजूरी दे दी। उक्त मंजूरी राज्य सरकार द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित किए गए बयानों के साथ-साथ आपराधिक अपील संख्या 853/2012 में उर्दू दैनिक में दिए गए बयानों के आधार पर दी गई थी जिसकी खबर उसके संपादक द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो सभी दूसरे प्रतिवादी को बदनाम करने वाले बयान हैं जबकि वह एक लोक सेवक के रूप में अपने सार्वजनिक कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क कि उक्त मंजूरी के अनुसार राज्य सरकार की ओर से कोई दिमाग नहीं लगाया गया, कानून की दृष्टि से पूरी तरह से अस्थिर है, खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

29. इसके अलावा, उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा तर्क दिया गया कि सोहराबुद्दीन को बीदर से अहमदाबाद ले जाने में सुविधा प्रदान करने के लिए गुजरात पुलिस अधिकारियों की कथित सहायता करने वाले दूसरे प्रतिवादी के कृत्य का उसके सार्वजनिक निर्वहन से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित किए जा रहे दूसरे प्रतिवादी को कथित रूप से बदनाम करने वाले समाचार आइटम में उक्त बयान सीआरपीसी की धारा 199 को आकर्षित नहीं करता है। इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी उसके अधिकार क्षेत्र से परे है क्योंकि गुजरात पुलिस की सहायता करने का उक्त कार्य

एक स्वतंत्र कार्य है और यह दूसरे के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में नहीं है। हालांकि प्रतिवादी, उस प्रासंगिक समय पर, अपने सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन कर रहा था।" अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क भी कानून में पूरी तरह से अस्थिर है, इस कारण से कि गुजरात पुलिस की सहायता करते समय दूसरे प्रतिवादी पर सवाल का निर्धारण किया जाएगा या नहीं उस समय अपने सार्वजनिक कार्यों के आधिकारिक निर्वहन की क्षमता में थी या अन्यथा, रिकॉर्ड पर तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की जांच के बाद नियमित परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाना है।

30. रुबाबुद्दीन शेख (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा गया कि सोहराबुद्दीन के मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच का तथ्य इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मामले में फैसले के पैरा 2 में विषय वस्तु थी, इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा समाचार पत्र में इसे प्रकाशित करके (आपराधिक अपील संख्या 854 एवं 858 /2012 में) को किसी भी मानहानि का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उक्त समाचार उपरोक्त निर्णय का हवाला देकर प्रकाशित किया गया था जो एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है। अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया यह तर्क कानून में पूरी तरह से अस्थिर है क्योंकि उपरोक्त संदर्भित मामले में इस न्यायालय के उक्त निर्णय के पैरा 2 में केवल उस मामले के तथ्यों के संबंध में है, जबकि, के खिलाफ लगाए गए आरोप यहां अपीलकर्ता दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ मानहानिकारक बयान प्रकाशित और प्रसारित करने के पक्ष में हैं, जिसकी तथ्यात्मक प्रश्न की जांच, विचार और उत्तर विद्वान अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश के समक्ष नियमित परीक्षण कार्यवाही के बाद ही किया जाना है। इसलिए, इस संबंध में दिया गया उपरोक्त तर्क पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसे खारिज किया जाता है।

31. इसके अलावा, आपराधिक अपील संख्या 854 और 858 /2012 में विद्वान वकील ने कानून के प्रस्ताव के समर्थन में, उर्मिला देवी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, कानून के इस प्रस्ताव के समर्थन में कि केवल मुख्य संपादक ही कथित मानहानिकारक बयानों के प्रसारण या प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है, जिसके खिलाफ मंजूरी आदेश दिया गया है और दूसरों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई मंजूरी आदेश नहीं दिया गया है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि मंजूरी आदेश में उन व्यक्तियों का विशिष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनके खिलाफ अभियोजन शुरू किया जा सकता है और इसके अभाव में, अन्य सभी अपीलकर्ताओं के खिलाफ संबंधित अपीलो में राज्य सरकार द्वारा एक ही मंजूरी आदेश दिया जाता है सीआरपीसी की धारा

199(4) के तहत प्रावधान की व्यापक व्याख्या देने के समान है, जो सीआरपीसी के तहत उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य नहीं है। मामले के इस पहलू की उच्च न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई है; इसलिए, आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि से दूषित है और सीआरपीसी की धारा 199(4) के प्रावधानों के विपरीत है।

32. सीआरपीसी की धारा 199(4) को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह नहीं पता चलता कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए, लोक सेवक को प्रत्येक के संबंध में राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ अपराध का एक ही लेनदेन का आरोप लगाया गया है और आरोपियों के नाम राज्य सरकार द्वारा दिए गए मंजूरी आदेश में विशेष रूप से उल्लिखित किए जाने की आवश्यकता है। यदि उस घटना में शामिल सभी संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक मंजूरी दी जाती है तो यह पर्याप्त है, इस प्रकार, इस संबंध में अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क भी अस्वीकार करने योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

33. आपराधिक अपील संख्या 851 /2012 में अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील श्री अभिमन्यु श्रेष्ठ द्वारा आग्रह किया गया तर्क भी कानून में अस्थिर है क्योंकि अपीलकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित समाचार आइटम के आधार पर एक बयान दिया है। इसे हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादी की ओर से राज्य लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए जाने वाले वैध और ठोस सबूतों के आधार पर तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच की जानी है। इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए उक्त तर्क में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

34. दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने सीआरपीसी की धारा 132, 188, 196, 197 और 199 पर भरोसा करते हुए, अन्य बातों के अलावा, अपने आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों और कारणों को सही ठहराने की मांग की कि किसी लोक सेवक की मानहानि के मामले में किसी आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी, 1898 की पुरानी धारा 198 बी(3 बी) के तहत किसी भी सचिव या सरकार द्वारा प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। उसने सीआरपीसी की धारा 2 यू पर भी भरोसा जताया। जो एक लोक अभियोजक को धारा 24 के तहत नियुक्त किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और इसमें लोक अभियोजक के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल

है। दूसरे प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील ने सीआरपीसी की धारा 308 परंतुक 2, धारा 473 मंजूरी की सीमा और सीआरपीसी की धारा 484 के संबंध में भरोसा करते हुए सही ढंग से उचित ठहराया है कि अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पूरी तरह से कानूनी और वैध है। विद्वान वकील ने मास्टर गिरधारी लाल प्रिंटर एंड पब्लिशर ऑफ नया भारत बनाम राज्य, पचल्लूर नूहू बनाम लोक अभियोजक और संत लाल बनाम कृष्ण लाल और बी. बसवलिंगप्पा और एक अन्य बनाम नरसिम्हा उपरोक्त दिये गये के मामलों के निर्णयों पर भी सही भरोसा जताया है। इसलिए, उनके द्वारा किया गया निवेदन अच्छी तरह से स्थापित है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

35. इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि वर्तमान मामलों में आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत और निरंतरता प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा और बाधा उत्पन्न करती है जो सबसे कीमती है और यह भारत के संविधान के तहत उपरोक्त प्रावधानों का अपमान है। उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा उक्त तर्क का जोरदार ढंग से खंडन किया गया है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है और मामले के उक्त पहलू पर रिकॉर्ड पर ठोस और वैध साक्ष्य जोड़ने के बाद विचार किया जाना चाहिए। विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष लोक अभियोजक, जो तब इसकी सराहना करेगा और मामले की योग्यता के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा।

36. उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने को रद्द करने की याचिकाओं को खारिज करने में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूरी तरह से कानूनी और वैध है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपीलों में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है और न ही अपीलकर्ताओं के लिए इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से न्याय की कोई हत्या हाती है। हमारे सुविचारित विचार में, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं को वैध और ठोस सबूत पेश करके अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को साबित करना होगा, विचारण न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया जाना चाहिए और तदनुसार मामले के गुण-दोष के आधार पर निष्कर्षों को दर्ज करना होगा। अपीलें निराधार हैं, खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने वाला आदेश निरस्त हो जाएगा।

देविका गुजराल अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।